भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 57*

25 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत कार्य की स्थिति

†*57. डॉ. थोल तिरूमावलवनः

डॉ. डी. रवि कुमारः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में, विशेषकर तमिलनाडु में प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) बहुल क्षेत्रों में किए जा रहे विभिन्न कार्यों का ब्यौरा और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उनके अंतर्गत आबंटित और उपयोग की गई केन्द्रीय धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान तमिलनाडु में पीएमएवाई-यू के अंतर्गत लाभान्वित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की संख्या कितनी है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा पीएमएवाई-यू के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और निर्धन बेघर परिवारों के लिए निर्मित आवासों की संख्या में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री मनोहर लाल)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

'पीएमएवाई-यू के अंतर्गत कार्य की स्थिति' के संबंध में दिनांक 25.07.2024 को उत्तर देने के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 57* (17वां स्थान) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। अतः, अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा किया जाता है। तथापि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) देश भर के शहरी क्षेत्रों में पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए 25 जून, 2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को पूरा करने में सहायता करता है।

दिनांक 15.07.2024 की स्थिति के अनुसार, मंत्रालय द्वारा 118.64 लाख आवास संस्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 114.33 लाख आवास निर्माणाधीन है और 85.04 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है/तमिलनाडु के साथ-साथ देश की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित लाभार्थियों को सुपुर्द किए जा चुके हैं। 118.64 लाख संस्वीकृत आवासों में से 18.12 लाख (17%), 5.02 लाख (5%) और 42.40 लाख (40%) आवास क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों के लिए संस्वीकृत किए गए हैं। इसी तरह, तमिलनाडु के लिए संस्वीकृत 6,80,347 आवासों में से अनुसूचित जाति के लिए 1,94,546 (29%) आवास, अनुसूचित जनजाति के लिए 8,994 (1%) आवास और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3,27,898 (50%) आवास संस्वीकृत किए गए हैं। 11,185.30 करोड़ की केंद्रीय सहायता अनुमोदित की गई है, जिसमें से 10,134.96 करोड़ रु. तमिलनाडु के लिए जारी किए गए हैं। प्रत्येक पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तमिलनाडु में पीएमएवाई-यू के अंतर्गत लाभान्वित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(घ) पीएमएवाई-यू एक मांग आधारित योजना है जिसमें पीएमएवाई-यू योजना दिशानिर्देशों में निर्धारित पात्रता मानदंडों के आधार पर सभी पात्र लाभार्थियों को शामिल करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। लाभार्थियों की मांग और चयन के आधार पर, परियोजना प्रस्तावों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जिसे आगे केंद्रीय सहायता की संस्वीकृति के लिए केंद्रीय संस्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी) को भेज दिया जाता है। इस योजना के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों सहित पात्र लाभार्थियों के लिए आवासों की संस्वीकृति के लिए मंत्रालय के पास कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

*****

दिनांक 25-07-2024 के लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 57 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लाभार्थियों के लिए वर्ष-वार संस्वीकृत किए गए आवास

वित्तीय वर्ष	अनुसूचित जाति (एससी)	अनुसूचित जनजाति (एसटी)	अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी)
2021-22	21,478	751	37,945
2022-23	5,134	222	17,263
2023-24	2,761	64	7,774
वर्तमान वर्ष	शून्य	शून्य	शून्य

*****